पत्रांक–05 / सं0–01 / 2024.................

झारखंड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
उच्च शिक्षा निदेशालय
तृतीय तल, योजना भवन, नेपाल हाउस, डोरंडा, राँची 834002-

प्रेषक,

सुधीर बाड़ा,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग।

राँची, दिनांक ....

विषय :– माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड़, पदमा, हजारीबाग को शैक्षणिक सत्र–2025–29, 2026–30 एवं 2027–31 के लिए अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–2003 दिनांक–07.08.2025

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि राज्य सरकार ने माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड़, पदमा, हजारीबाग को विश्वविद्यालय के अनुशंसा के आलोक में बिना किसी वित्तीय भार के एवं इंटर रहित अस्थायी नवसंबंधन/संबंधन दीर्घीकरण के प्रस्ताव में समीक्षोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 04 (19) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित विवरणी के अनुसार कंडिका–2 में अंकित शर्तो के अधीन स्वीकृति प्रदान की है:–

क्र0	संकाय स्तर	विषय	सत्र	अभियुक्ति
1.	कला संकाय In all the proposed major courses along with all the subject required for subject mapping (common courses, introductory courses, minor courses and research courses) as per the framework for FYUGP	(Major):- हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, खोरठा, गृहविज्ञान, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र एवं मानवशास्त्र (as per the framework for FYUGP)	2025–29, 2026–30 एवं 2027–31	अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण

02. शर्तः–

(i) यह महाविद्यालय स्थायी संबंधन/संबंधन दीर्घीकरण हेतु पत्रांक–BSU-16/86-1096 (जी0एस01) दिनांक–19.04.1986 एवं संबंधन संबंधी निदेशालीय पत्रांक–749, दिनांक–13.04.2018 द्वारा निर्गत नवगठित परिनियम द्वारा निर्धारित शर्तो एवं यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित शर्तो को सदैव पूरा करेगा।

(ii) विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में अधिरोपित शर्तो एवं पूर्व में विभाग द्वारा दिये गए शर्तो का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(iii) महाविद्यालय को यू0जी0सी0 अधिनियम (यथा संशोधित) की धारा–5 के तहत NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा।

(iv) आरक्षण नियमों का अक्षरशः अनुपालन अनिवार्य होगा।

विश्वासभाजन

ह0 / –

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।

ज्ञापांक– 05 / सं0–01 / 2024......57...... राँची, दिनांक–08/01/2026

प्रतिलिपिः-- माँ विन्ध्यवासिनी संध्याकालीन स्नातक महाविद्यालय, करमाटाँड, पदना, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

08.01.26

(सुधीर बाड़ा)
निदेशक, उच्च शिक्षा।